**L. C. BILL No. VI OF 2025.**

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION ACT, 1996.

**विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक ६ सन् २०२५।**

**महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।**

सन् १९६६ का महा. १५।

**क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

**१.** (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, २०२५ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

सन् १९९६ का महा. १५ की धारा २ में संशोधन।

**२.** महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम अधिनियम, १९९६ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहां गया है) की धारा २ के, खण्ड (ग) में, "(कोयना जल-विद्युत ऊर्जा परियोजना को छोड़कर)" कोष्टक और शब्द अपमार्जित किये जायेंगे। सन् १९९६ का महा. १५।

घोषणा।

**३.** एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, २०२५ के प्रारम्भण के दिनांक से कोयना जल-विद्युत ऊर्जा परियोजना महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम को अभ्यर्पित, सौंपी गयी और हस्तांतरित की है ; और उपर्युक्त प्रारम्भण का दिनांक महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम अधिनियम, १९९६ की धारा १५ में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उक्त परियोजना के संबंध में नियत दिनांक होगा। सन् २०२५ का महा. .....। सन् १९९६ का महा. १५।

## उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम अधिनियम, १९९६ (सन् १९९६ का महा. १५) महाराष्ट्र राज्य को आवंटित कृष्णा नदी जल का उपयोग करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं, कमान क्षेत्र विकास और जल विद्युत ऊर्जा के सृजन की योजनाओं को बढ़ावा देने और प्रचालन करने के लिए विशेष उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है।

२. उक्त अधिनियम जल-विद्युत ऊर्जा परियोजना जो राज्य सरकार द्वारा उक्त निगम को अभ्यर्पित, सौंपी गयी और हस्तांतरित की है समेत महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम के प्रचालन क्षेत्र के भीतर जल-विद्युत ऊर्जा परियोजना की योजना, संनिर्माण, रखरखाव और प्रबंधन के लिए उपबंध करता है। तथापि, उक्त अधिनियम की धारा २ के खण्ड (ग) द्वारा कोयना जल-विद्युत ऊर्जा परियोजना की परियोजना, संनिर्माण, रखरखाव और प्रबंधन को विशेष रूप से उक्त अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

३. उक्त अधिनियम की अधिनियमिति से अब तक कोयना जल-विद्युत ऊर्जा परियोजना के कामकाज, प्रबंधन और नियंत्रण में, विभिन्न महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसलिए, उक्त परियोजना को उसके योजना, संनिर्माण, रखरखाव और बेहतर प्रबंधन के लिए, महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम को सौंपने के लिए, उक्त अधिनियम की सीमा के दायरे के भीतर उक्त परियोजना को लाने के लिए, सरकार, इष्टकर समझती है। महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम अधिनियम, १९९६ की धारा २ के खण्ड (ग) में यथोचित संशोधन करना इष्टकर है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २१ मार्च, २०२५।

**राधाकृष्ण विखे-पाटील,**
जल स्रोत मंत्री।
(गोदावरी और कृष्णा नदी विकास निगम).

(यथार्थ अनुवाद),
**विजया डोनीकर,**
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

**विधान भवन,**
मुंबई,
दिनांकित २१ मार्च, २०२५।

**जितेंद्र भोळे,**
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानपरिषद।

## प्रत्यायुक्त विधानसंबंधी ज्ञापण

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए, निम्न प्रस्ताव अर्न्तग्रस्त है, अर्थात् :–

**खण्ड १ (२).**— इस खंड के अधीन राज्य सरकार को **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें ऐसे दिनांक पर अधिनियम प्रवर्तन में लाने की, शक्ति प्रदान की गयी है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

(यथार्थ अनुवाद),
**विजया डोनीकर,**
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई.